

2015

वर्तमान परिदृश्य

THE PRESENT DAY

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 150

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 150

- नोट : (i) अभ्यर्थी सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें ।
(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
(iii) एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाय ।

Note : (i) Candidates should attempt all the five questions.

(ii) All questions carry equal marks.

(iii) The parts of same question must be answered together.

1. (क) “अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर सहवर्ती हैं”, व्याख्या कीजिए । भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में यह विधिशास्त्रीय अवधारणा कहाँ तक प्रयोज्य है ? 15
(ख) “यह कहना ठीक नहीं है कि प्रत्येक नैतिक बंधन में विधिक कर्तव्य अन्तर्बलित है परन्तु प्रत्येक विधिक कर्तव्य एक नैतिक बंधन पर आधारित है ।” विवेचना कीजिए । 15
(a) “Rights and duties are correlative.” Explain. How far this jurisprudential conception is applicable to Right to Information in India ?
(b) “It would not be correct to say that every moral obligation involves a legal duty but every legal duty is founded on a moral obligation.” Discuss.
2. (क) संघ तथा राज्य के सिविल सेवकों का कार्यकाल क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त रहता है । क्या इस नियम पर कोई प्रतिबंध है ? विवेचना कीजिए । ऐसे सेवकों को पदच्युति इत्यादि के विरुद्ध कौन से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं ? 15
(ख) “भारतीय पंथ निरपेक्षता न तो धर्म विरुद्ध है और न ही धर्म के प्रति पूर्णतया तटस्थ, बल्कि उसका मूल आधार सभी धर्मों के प्रति समान आदर है ।” उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए । 15

- (a) Civil Servants of the union and states hold their offices during pleasure of the President and Governor respectively. Is there any restriction on this rule ? Discuss. What are the constitutional protections available to such servants against dismissal etc. ?
- (b) "Indian secularism is neither anti-religious nor is it based on total neutrality towards religion, but is based on equal respect to all religions." Explain and illustrate.
3. (क) निर्णित वाद-विधि की सहायता से राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के परिधि (Scope) की विवेचना कीजिए । 15
- (ख) केन्द्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्ति के वितरण के संदर्भ में असंगतता के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । 15
- (a) Discuss the scope of pardoning power of the President with the help of decided case law.
- (b) Explain the Doctrine of repugnancy in reference to distribution of legislative powers between the union and states.
4. (क) "राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच विभेद धीरे-धीरे कम होता जा रहा है ।" व्याख्या कीजिए । 15
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए । 15
- (a) "The distinction between National law and International law is blurring gradually." Explain.
- (b) Examine the role of General Assembly of United Nations in the maintenance of international peace and security.
5. (क) प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विधि का वर्तमान न्यायिक निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए । 15
- (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमाती शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ (2014)8 एस.सी.सी. में दिये गये निर्णय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए । 15
- (a) Examine the law relating to reservation in promotion in context to recent judicial decisions.
- (b) Write a detailed note on the decision given by the Supreme Court in Pramati Educational and Cultural Trust and Others Vs. Union of India (2014) 8 SCC.